प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **13-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-हत्या के अभियोंग का वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोलाः-

अवगत कराना है दिनांक 07.08.2025 को वादी नरेश सिंह पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह नि0 मिलक भारतल थाना नखासा जनपद संभल ने अभियुक्त द्वारा वादी के भाई कपिल कुमार को छत से नीचे फेककर हत्या कर देने के संबंध में थाना मझोला पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मझोला पर मु0अ0सं0- 732/2025 धारा- 103(1) बीएनएस -2023 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 13.08.2025 को निरीक्षक अपराध श्री मुजम्मिल खाँ थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी रामकिशन पुत्र बनवारी जाटव निवासी ग्राम मिठनपुर महेश थाना बिलारी,मुरादाबाद हाल निवासी ग्राम पंडित नंगला थाना कटघर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

रामकिशन पुत्र बनवारी जाटव निवासी ग्राम मिठनपुर महेश थाना बिलारी,मुरादाबाद हाल निवासी ग्राम पंडित नंगला थाना कटघर जिला मुरादाबाद

2-नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने,गर्भपात कराने व जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है दिनांक 07.08.2025 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को इंस्टाग्राम पर प्रेम जाल में फंसाकर बातचीत करने, कोल्डड्रिंग में नशीला पदार्थ मिलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कर करने तथा गर्भपात करने, शादी कहीं ओर करने की जिद करने पर गाली गलौंज कर जान से मारने की धमकी तथा अश्लील वीडियो वायर करने की धमकी देने तथा परिजनों द्वारा भी जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0- 331/2025 धारा 69/351(3)/352 बी0एन0एस0 व ¾ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा-123/89 बी0एन0एस0 विलोप की गयी तथा आज दिनांक 13.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित आरोपी सुहैल पुत्र बाबू निवासी मौ0 निचडा वार्ड न0 01 बडी ज्यारत के पास थाना काशीपुर जिला उधमसिंहनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

सुहैल पुत्र बाबू निवासी मौ0 निचडा वार्ड न0 01 बडी ज्यारत के पास थाना काशीपुर जिला उधमसिंहनगर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 कुलदीप कुमार शर्मा थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

हे0का0 प्रदीप कुमार थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

हो0गा0 चमन सिंह थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

3-नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना पाकबड़ाः-

अवगत कराना है दिनांक 09.08.2025 को वादी निवासी थाना पाकबड़ा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-208/2025 धारा-137(2)/87/61 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में लड़की को सकुशल बरामद करते हुये साक्ष्य संकलन/बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-64(1)/69 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट व धारा 3(2)(5) SC/ST ACT की वृद्धि की गयी तथा आज दिनांक 13.08.2025 को उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी प्रशांत पुत्र विजय शर्मा निवासी ग्राम देवीपुरा थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी-

प्रशांत पुत्र विजय शर्मा निवासी ग्राम देवीपुरा थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद।

उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद।

4-जनपदीय पुलिस द्वारा 01 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 24 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 01 वारंटी तथा 24 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

वारंटी विवरणः-

थाना मुगलपुराः-

अदनान खाँ पुत्र असलम खाँ नि0 ख्वाजा मुस्तफा की जारत के सामने लाल स्कूल थाना मुगलपुरा मुरा0 सम्बंधित सम्बंधित 83 सीआरपीसी / एनबीडब्ल्यू सम्बंधित मुकदमा नं0 974/19 मु0अ0सं0 167/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना कोतवाली नगर-05,थाना मुगलपुरा-01,थाना पाकबड़ा-01,थाना नागफनी-01,थाना मझोला-03,थाना छजलैट-01,थाना बिलारी-06,थाना भगतपुर-06

5-थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत महिला से चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले तथा मोटर साईकिल चोरी की घटना व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण को थाना सिविल लाईन्स पुलिस ने किया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 02 टुकडो मे टूटी चैन पीली धातु, 02 अवैध देशी तंमचे 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 मोबाइल व 510/-रूपये नगद तथा चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पैलेन्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद किये गये।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2025 को रामगंगा विहार के एमआईटी कॉलेज के पास से महिला के गले से अज्ञात बाईक सवार चोरो द्वारा चैन छीनकर ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-570/2025 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अज्ञात अभियुक्तो की तलाश मे पुलिस पतारसी व सुरागरसी मे लगी हुई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, अपराधो में संलिप्त व मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु, पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित करने वाले प्रकाश मे आये 02 शातिर अभियुक्तण 1. अयाज उर्फ मुन्ना पुत्र जाकिर निवासी हरथला नया गांव सिध्द अस्पताल के पास थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद 2. बिलाल पुत्र जाफिर निवासी इंडस्ट्रीयल एरिया नियर खन्ना टिकली फैक्ट्री हरथला नया गांव थाना सिविल लाईन मुरादाबाद को आज दिनांक 13.08.2025 को थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्तगण की वेव माल के पीछे वाले रास्ते पर घेरा बन्दी की गयी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस की घेराबन्दी देख पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुए अभियुक्तगण 1. अयाज उर्फ मुन्ना पुत्र जाकिर निवासी हरथला नया गांव सिध्द अस्पताल के पास थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. बिलाल पुत्र जाफिर निवासी इंडस्ट्रीयल एरिया नियर खन्ना टिकली फैक्ट्री हरथला नया गांव थाना सिविल लाईन मुरादाबाद उपरोक्त को वेव माल के पीछे वाले रास्ते पर चौकी क्षेत्र रामगंगा विहार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित महिला से छीनी गयी चेन के 02 टुकडे (पीली धातु) व 510/-रूपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त की गयी चोरी की मोटर साइकिल स्पैलेन्डर बिना नम्बर प्लेट तथा व 02 मोबाइल 02 अवैध देशी तंमचे 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। अभियुक्तगण के बरामद मोटर साईकिल के सम्बन्ध मे दिनांक 14.12.2024 को मु0अ0स0-1092/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. अयाज उर्फ मुन्ना पुत्र जाकिर निवासी हरथला नया गांव सिध्द अस्पताल के पास थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
2. बिलाल पुत्र जाफिर निवासी इंडस्ट्रीयल एरिया नियर खन्ना टिकली फैक्ट्री हरथला नया गांव थाना सिविल लाईन मुरादाबाद

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अयाज का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-570/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0स0-1092/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

3. मु0अ0सं0- 611/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0-570/2025 धारा 304 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0स0-1092/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

3.मु0अ0सं0- 611/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

नोटः- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पुलिस पूछताछ पर बताया कि दोनो अभियुक्त गण आयाज व बिलाल उपरोक्त ने एक साथ एक स्वर मे बताया कि आज हम दोनो चैन कुण्डल लूटने के इरादे से जा रहे थे कि तभी हमने सामने पुलिस को देख लिया था तथा घबराकर पकडे जाने के डर से हम दोनो द्वारा पुलिस पर अपने-अपने तमंचों से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। हम दोनो के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल स्पैलेन्डर प्लस हम दोनो ने मिलकर के दि0 14.12.2024 को चोरी की घटना करने के लिए कचहरी से चोरी की थी और हम दोनो से जो चैन के टुकडे बरामद हुए है यह चैन हम दोनो ने दिनाँक 26/27.07.2025 को एमआईटी कालेज के पास एक महिला के गले से छिनी थी और इसी मोटरसाइकिल से भाग गये थे साहब हम दोनो मौज मस्ती और अपने शौक पूरे करने के लिए चैन लूटने का काम करते है। और लूटी गई चैन को आने जाने वाले को बैचकर ठीक ठाक पैसे बना लेते है। और पुलिस से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए हम दोनो तमन्चे रखते है जिससे कि मौका पडने पर फायर करके हम दोनो भाग सके। एमआईटी कालिज के पास से महिला से लूटी गई चैन हम लोगो से आधि आधि पुलिस ने बरामद कर ली है।

बरामदगी का विवरण-

1- 02 टूटी हुई चैन के टुक़डे (पीली धातु)
2- 02 देशी तंमचे 315 बोर
3- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
4- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
5- कुल 510/- रुपये नकद
6- 02 मोबाइल (वीवो व वन प्लस कम्पनी)
7- 01 मोटर साइकिल स्पैलेन्डर बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सैना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
2- उ0नि0 कुलदीप राणा थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
3- उ0नि0 अनुज कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
4- उ0नि0 सचिन कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
5- हे0कां0 अंकुल कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
6- कां0 टिन्कू कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
7-कां0 कुलदीप कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
8-का0 अनिल कुमार , थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
9-का0 बाबर थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।
10-का0 सनी पंवार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

6- थाना बिलारी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये, घटना में संलिप्त 01 अभियुक्ता सहित 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 31-07-2025 को थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डाकिया नारू को जाने वाले रास्ते पर रोड किनारे श्री प्रेम सिंह के धान के खेत में भरे पानी में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियो में पड़ा होने के सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, थाना बिलारी पुलिस व फिल्ड यूनिट मौके पर पहुँचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये शव का पोस्टमार्टम कराया गया एंव शव की शिनाख्त कराये जाने के प्रयास किये गये जिसमें मृतक की शिनाख्त उसके सगे भाई महेन्द्र पुत्र स्व0 पर्वत सिंह निवासी ग्राम मिठ्ठनपुर मौजा, थाना कुढफतेहगढ़ जनपद सम्भल के द्वारा किशनवीर पुत्र स्व0 पर्वत सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 35 वर्ष के रूप मे की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार उक्त घटना के सभी तथ्यों पर सत्यता की जाँच एंव शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मुरादाबाद के कुशल पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी बिलारी के मार्गदर्शन में थाना बिलारी पर टीम का गठन किया गया। प्रकरण के संबंध में वादी श्री महेन्द्र पुत्र स्व0 पर्वत सिंह निवासी ग्राम मिठ्ठनपुर मौजा, थाना कुढफतेहगढ़ जनपद सम्भल की तहरीर (अभियुक्तगण द्वारा षड़यंत्र रचकर वादी के भाई की हत्या कर देने) के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-363/2025 धारा 103(1) /61(2) बीएनएस बनाम चमन आदि 05 आरोपीगण के पंजीकृत किया गया।

गठित टीम द्वारा उक्त घटना में गहनता से छानबीन व मृतक के परिवारजन व गवाहो से पूछताछ की गयी तथा साक्ष्य एकत्रित किये गये। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 13-08-2025 को मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्तगण 1-चमन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मनकुला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, 2- नितिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम मनकुला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, 3- रविकांत पुत्र मुरारी लाल निवासी मोहल्ला प्रेम विहार बिलारी कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद, 4- श्रीमती पिंकी पत्नी स्व0 किशनवीर निवासी ग्राम मिठनपुर मौजा थाना कुढफतेहगढ़ जनपद संभल को गिरफ्तार किया गया ,अन्य वांछित 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-363/2025 धारा 103(1) /61(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1-चमन पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मनकुला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद,
2- नितिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम मनकुला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद,
3- रविकांत पुत्र मुरारी लाल निवासी मोहल्ला प्रेम विहार बिलारी कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद,
4- श्रीमती पिंकी पत्नी स्व0 किशनवीर निवासी ग्राम मिठनपुर मौजा थाना कुढफतेहगढ़ जनपद संभल।

वांछित अभियुक्तः-

अवनेश पुत्र नाम नामालूम निवासी ग्राम रमपुरा थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद।

पूछताछ का विवरणः-

पुलिस पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा उक्त हत्या की घटना कारित किया जाना स्वीकार करते हुये बताया कि चमन व नितिन मृतक किशनवीर के दोस्त थे, और घर पर आना जाना था। चमन और नितिन का मृतक किशनवीर की पत्नी श्रीमती पिकीं से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में किशनवीर को जानकारी हो गयी थी तथा किशनवीर ने चमन व नितिन को अपने घर आने से साफ मना कर दिया था। इसी के चलते मृतक की पत्नी श्रीमती पिकीं व चमन, नितिन ने अपनी साथी रविकान्त, अवनेश के साथ मिलकर किशनवीर को जान से मारने की योजना बनाई तथा दिनांक 30-07-2025 को योजना के अनुसार नितिन,चमन,रविकान्त ,अवनेश शराब पिलाने का बहाना कर किशनवीर को अपने साथ ले गये और किशनवीर को शराब पिलाकर ग्राम डाकिया नारू को जाने वाले रास्ते पर रोड किनारे धान के खेत में भरे पानी मे मुहँ दबाकर हत्या कर दी **थी।**

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री अमरनाथ वर्मा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
2- व0उ0नि0 अशोक कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
3- उ0नि0 विनोद कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
4- उ0नि0 राहुल कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
5- म0उ0नि0 सीमा राठी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
6- हे0कां0 सोमवीर सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
7- हे0कां0 राहुल कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
8- हे0कां0 कृष्णवीर सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
9- कां0 रजनेश कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
10- कां0 मुकुल गौतम थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
11- म0कां0 नीलम कुमारी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।